

कार्यालय भोपाल विकास प्राधिकरण भोपाल

क्रमांक 7030 / राजस्व / भोविप्रा / 24

भोपाल दिनांक 20 / 12 / 2024

रेरा पंजीयन क्रमांक P-BPL-17-286

राजाभोज गोदरमऊ स्थित आवासीय भूखण्ड हेतु ऑन लाईन ऑफर

प्राधिकरण की राजाभोज गोदरमऊ योजना स्थित आवासीय भूखण्ड का विक्रय निम्न तालिका में वर्णित होकर ऑन लाईन बेबसाइट <https://vikaspradhikaran.mponline.gov.in> के माध्यम से ऑफर दिनांक 23-12-24 से दिनांक 14-01-25 तक आमंत्रित किये जाते हैं। निर्धारित अवधि में प्राप्त आफर/आवेदन पत्र दिनांक 15-01-25 को खोले जायेंगे।

निम्न सम्पत्तियों का विस्तृत विवरण प्राधिकरण की वेबसाइट www.bda.org.in पर देखा जा सकता है।

अनु. क्र०	भूखण्ड / इकाई का विवरण	भूखण्डों / इकाईयों का उपयोग	क्षेत्रफल वर्गमीटर प्रत्येक भूखण्ड	आरक्षण की श्रेणी, यदि आरक्षित हो	भूखण्ड / इकाई की आरक्षित कीमत प्रति भूखण्ड	वार्षिक पट्टा भाड़ा (पट्टे लीज) के प्रकरणों में	निक्षेप रकम / पंजीयन प्रति भूखण्ड
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	भूखण्ड क्र. एल-463 सेक्टर-ए,	आवासीय	91.50 वर्गमीटर	अनु० जाति	15,55,500 / -	फ्री-होल्ड	1,55,550 / -
2.	भूखण्ड क्र०-73 सेक्टर-ए,	आवासीय	135.00 वर्गमीटर	अनु० जाति	22,95,000 / -	फ्री-होल्ड	2,29,500 / -
3.	भूखण्ड क्र०-173 सेक्टर-ए,	आवासीय	135.00 वर्गमीटर	अनु० जाति	22,95,000 / -	फ्री-होल्ड	2,29,500 / -
4.	भूखण्ड क्र०-174 सेक्टर-ए,	आवासीय	135.00 वर्गमीटर	अनु० जा.	22,95,000 / -	फ्री-होल्ड	2,29,500 / -
5.	भूखण्ड क्र०-175 सेक्टर-ए,	आवासीय	135.00 वर्गमीटर	सामान्य	22,95,000 / -	फ्री-होल्ड	2,29,500 / -
6.	भूखण्ड क्र०-176 सेक्टर-ए,	आवासीय	135.00 वर्गमीटर	सामान्य महिला	22,95,000 / -	फ्री-होल्ड	2,29,500 / -
7.	भूखण्ड क्र०-177 सेक्टर-ए,	आवासीय	135.00 वर्गमीटर	पत्रकार / रिपोर्टर	22,95,000 / -	फ्री-होल्ड	2,29,500 / -
8.	भूखण्ड क्र०-462 सेक्टर-ए,	आवासीय	135.00 वर्गमीटर	सामान्य	25,24,550 / -	फ्री-होल्ड	2,52,455 / -
9.	भूखण्ड क्र०-463 सेक्टर-ए,	आवासीय	135.00 वर्गमीटर	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी	22,95,000 / -	फ्री-होल्ड	2,29,500 / -
10.	भूखण्ड क्र०-464 सेक्टर-ए,	आवासीय	135.00 वर्गमीटर	सामान्य	22,95,000 / -	फ्री-होल्ड	2,29,500 / -



निरंतर.....2

उपरोक्तानुसार विज्ञापन तैयार कर भूखण्डों का विक्रय ऑन लाईन के माध्यम से किये जाकर चयनित आवंटियों को निम्नलिखित शर्तों पर आवंटन किया जाना है।

1. भूखण्ड पर भारित सम्पत्ति कर एवं पुनर्निर्धारण शुल्क (भू राजस्व प्रीमियम राशि) रजिस्ट्री पृथक से देय होगा।
2. भूखण्ड पर भारित रहवासी समिति शुल्क एवं अन्य शुल्क तय अनुसार रजिस्ट्री पूर्व पृथक से देय हागा।
3. स्थल पर वास्तविक माप हेतु मीटर (एम.के.एस.) यूनिट आधार मान्य होगा।
4. सम्पत्ति फ्री-होल्ड पर विक्रय हेतु है।
5. जीएसटी एवं अन्य लागू टैक्स शासन नियमों के अनुसार देय होंगे।
6. भूखण्डों का विक्रय यथास्थिति में प्रस्तावित है।
7. भूखण्डों का स्थल पर निरीक्षण कर ही प्रस्ताव प्रस्तुत करें।
8. प्रचलित व्ययन नियमों के प्रावधान लागू होंगे।
9. आवेदक द्वारा पंजीयन कराने के पश्चात पंजीयन/आवंटन सुनिश्चित होने के बाद यदि आवंटी पंजीयन निरस्त करता है तो जमा पंजीयन राशि राजसात की जावेगी।
10. भूखण्ड की शेष राशि जमा करने की समयावधि आवंटन आदेशानुसार देय होगी।
11. भूखण्ड कार्नर का होने पर कार्नर शुल्क की राशि नियमानुसार देय होगी।
12. किस्तों का निर्धारण निम्नानुसार देय होगा।

ऑफर स्वीकृत राशि मूल्य से जमा पंजीयन राशि समायोजना पश्चात आवंटन आदेश जारी होने के 45 दिवस के अंदर सम्पूर्ण राशि अन्य देय राशियों सहित जमा किया जाना होगा। कार्नर भूखण्ड में विकास कार्य पूर्ण होने के उपरांत सीमांकन सत्यापन पर अधिक क्षेत्रफल प्राप्त होने की स्थिति में अतिरिक्त भूमि की राशि जमा किया जाना अनिवार्य होगा।




संपदा अधिकारी
भोपाल विकास प्राधिकरण
भोपाल